सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ, 1943 (श०)

संख्या- 292 राँची, मंगलवार, 1 जून, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

12 अप्रैल, 2021

संख्या-03/नि0सं0-09-11/2019 का॰ 2284--श्री सुधीर कुमार, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 714/03) के द्वारा दिनांक 11.01.2016 के प्रभाव से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि तथा दिनांक 03.02.2020 के प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या WP(S) No.2622/2020 सुधीर कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No.2622/2020 में दिनांक 05.11.2020 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

" There is no departmental proceeding, however, it has been stated in paragraph no. 12 that only warning has been given to the petitioner and the said warning is not coming in the way of providing the promotion as it is not in the nature of punishment.

The petitioner is directed to file a fresh representation before the respondent no. 2 within a period of two weeks.

If such a representation is filed within the aforesaid period, the respondent no. 2 shall take a decision in accordance with the rules, regulation and guidelines and considering this aspect of the matter that the juniors to the petitioner have been granted promotion to the higher post within a period of eight weeks thereafter."

3. उक्त न्यायादेश के क्रम में उल्लेखनीय है कि श्री सुधीर कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 2099 दिनांक 11.04.2008 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा विभागीय संकल्प संख्या 5818 दिनांक 28.09.2010 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया थाः-

(क) इनका वेतन प्रारम्भिक स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

(ख) इनकी तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जायेगी।

(ग) इन्हें देय प्रोन्नति की तिथि से तीन वर्षो तक इनकी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. उक्त दण्ड अधिरोपण के उपरांत दिनांक 08.08.2013 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 9085 दिनांक 13.09.2013 के द्वारा श्री कुमार को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई। दिनांक 04.01.2016 को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री कुमार के संबंध में दण्ड प्रभावी रहने के कारण अयोग्य की अनुशंसा की गई।

पुनः उक्त बैठक के उपरांत दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न बैठक में श्री कुमार को प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा की गई है।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No.2622/2020 में दिनांक 05.11.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक 13.11.2020 को समर्पित अभ्यावेदन पर विचार हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2021 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

6. विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु कालावधि निर्धारण से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 3286 दिनांक 04.04.2014 के आलोक में विचार किया गया जिसके प्रावधानानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु 05 वर्ष की कालावधि निर्धारित है तथा संकल्प की कंडिका-2(i) में कालावधि में छूट का निम्नांकित प्रावधान हैः-

''उक्त निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरी नहीं हो सकने की स्थिति में जहाँ रिक्ति उपलब्ध हो तथा कालावधि पूर्ण नहीं होने के कारण प्रोन्नति देना सम्भव नहीं हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों की कुल कालावधि यदि पूरी हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में धारित पद से उच्चतर पद के लिए निर्धारित कालावधि में 50 प्रतिशत तक की छूट अनुमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। छूट उन मामलों में देय नहीं होगी जहाँ प्रोन्नति में विलम्ब के लिए संबंधित पदाधिकारी ही दोषी हों अथवा प्रोन्नति नहीं मिलने का मुख्य कारण विभागीय कार्यवाही या फौजदारी मुकदमा को विलम्ब रहना हों।''

7. श्री सुधीर कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या 9085 दिनांक 13.09.2013 के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। अतः उनपर अधिरोपित दण्ड का प्रभाव दिनांक 13.09.2013 से निष्प्रभावी हो जाता है। परन्तु अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि

से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु कालावधि 05 वर्ष निर्धारित है तथा उक्त प्रावधान के अनुसार श्री कुमार को कालावधि में छूट अनुमान्य नहीं है।

8. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में दिनांक 11.02.2021 को सदस्य, राजस्व पर्षद अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा सम्यकरूपेण विचारोपरांत श्री सुधीर कुमार के मामले में निम्नांकित अनुशंसा की गई है :-

''श्री सुधीर कुमार दिनांक 13.09.2013 को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नत हुए है तथा उन्हें ससमय अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति नहीं प्रदान किये जाने का कारण उनपर अधिरोपित दण्ड प्रभावी रहने के फलस्वरूप श्री कुमार को कालावधि में छूट नहीं प्रदान किया जा सकता है। अतः उन्हें दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 11.01.2016 को निर्गत अधिसूचना की तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में 05 वर्ष कालावधि अपूर्ण रहने के फलस्वरूप प्रोन्नति देय नहीं है।

दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री कुमार की प्रोन्नति हेतु अनुशंसा को इस हद तक संशोधित किया जाता है।''

9. विभागीय प्रोन्नति समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में सक्षम स्तर से सम्यक विचारोपरांत श्री सुधीर कुमार की दिनांक 04.01.2016 को कालावधि अपूर्ण रहने के फलस्वरूप दिनांक 11.01.2016 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त निर्णय को संदर्भित करते हुए WP(S) No.2622/2020 में दिनांक 05.11.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सुधीर कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 714/03) द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 13.11.2020 का निस्तार किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 292 -- 50